न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
57/2023	प्रा0पत्र 136 RLRA	11.10.2023	21.12.2023

भुगानाराम पुत्र नानूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम धीरासर बीकान तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

–अप्रार्थी–

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री हीरालाल मंडार प्रार्थी
2. पैरोकार राज ।

आदेश

प्रार्थी भुगानाराम की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी गांव धीरासर बीकान तहसील व जिला चूरू का स्थाई निवासी है। प्रार्थी के सह खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 188/48 तादादी 0.1011 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 46 तादादी 8.2328 हैक्टेयर वाके रोही धीरासर बीकान तहसील व जिला चूरू में स्थित है। प्रार्थी का वादगत खेत पैतृक व दादालाई है। प्रार्थी के पिता स्वर्गीय नानूराम के स्वर्गवास होने के बाद विरासतन नामान्तकरण तस्दीक हुआ था उस समय प्रार्थी का बोलता नाम भगवाना था प्रार्थी के घरवाले व मोहल्ले के लोग प्यार से भगवाना, भगवाना करते थे। विरासतन नामान्तकरण के दौरान सहवन से भगवानाराम पुत्र नानूराम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज हो गया जो एक सहवन व लिपिकीय भूल से हो गया था जबकि प्रार्थी का सही नाम भुगानाराम पुत्र नानूराम है।

उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में सहवन से प्रार्थी का नाम भुगानाराम के स्थान पर भगवानाराम दर्ज हो गया व इसी नाम से राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी वर्तमान में चालू है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड को छोड़कर सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम भुगानाराम पुत्र नानूराम के नाम से बने हुए हैं और यही सही नाम है।

प्रार्थी का आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर विभाग, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि में प्रार्थी का नाम भुगानाराम पुत्र नानूराम ही है ग्राम पंचायत जासासर के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में भुगानाराम प्रार्थी का सही नाम माना है। असल प्रमाण–पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

खसरा नं. 188/48 तादादी 0.1011 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 46 तादादी 8.2328 हैक्टेयर वाके रोही धीरासर बीकान तहसील व जिला चूरू के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम भुगानाराम पुत्र नानूराम होना है जो सहवन से भगवानाराम पुत्र नानूराम हो गया जो गलत है। इस गलत बने राजस्व रिकॉर्ड के कारण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि से संबंधित सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। के.सी.सी. वगैरा भी नहीं बना सकता इसलिए गलत बने नाम को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी का सही नाम भुगानाराम पुत्र नानूराम राजस्व रिकॉर्ड में अंकिन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव न पड़ सके, उचित लाभ से प्रार्थी वंचित न रहे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 188/48 तादादी 0.1011 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 46 तादादी 8.2328 हैक्टेयर वाके रोही धीरासर बीकान तहसील व जिला चूरू की जमाबन्दी में सहवन से दर्ज भगवानाराम पुत्र नानूराम के स्थान पर प्रार्थी खातेदार भुगानाराम पुत्र नानूराम संशोधित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर श्रीमान् तहसीलदार साहब को निर्देशित किया जावे कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए एवं कथन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की जांच पटवारी हल्का जासासर से जांच पूर्व में करवाई गई जिसमें प्रार्थी का सही नाम भुगानाराम पुत्र नानुराम होना पाया गया है तथा तहसीलदार, चूरू द्वारा भी उक्त नाम शुद्ध किया जाना उचित बताया है। पृथक से जवाब की आवश्यकता नहीं है। पैरोकार राज का जवाब बन्द किया गया।

वकील प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों, पटवारी हल्का जासासर की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार, चूरू की अभिशंषा दिनांक 23.10.2023 एवं प्रार्थी के शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थी का नाम भगवानाराम के स्थान पर भुगानाराम शुद्ध करने का आदेश फरमावें। पैरोकार राज ने कथन किया कि जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम शुद्ध किये जाने से राज्य सरकार को कोई हानि होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात मय शपथ–पत्र एवं तहसीलदार, चूरू की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश छाया प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम धीरासर बीकान के 188/48 तादादी 0.1011 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 46 तादादी 8.2328 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम भगवानाराम पुत्र नानूराम अंकित है जिसको प्रार्थी शुद्ध करवाना चाहता है। छाया प्रति परिवार राशन [illegible] 007052700047, आधार कार्ड संख्या 531193565925, पैन कार्ड सं[illegible] में प्रार्थी का नाम भुगानाराम पुत्र नानूराम अंकित है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं पटवारी जांच रिपोर्ट व तहसीलदार, चूरू की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। वादगत कृषि भूमि वाके रोही धीरासर बीकान के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज चला आ रहा है जिसको सही व दस्तावेजों के अनुरूप दर्ज करवाने के लिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है तथा इस प्रकार के संशोधन से राज्य सरकार को कोई हानि होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

की सम्भावना नहीं है। साथ ही इस प्रकार के संशोधन से सह खातेदारों के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजात में नाम की भिन्नता के कारण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि से संबंधित सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र उचित होने से स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा संख्या 188/48 तादादी 0.1011 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 46 तादादी 8.2328 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 8.3339 हैक्टेयर रोही ग्राम धीरासर बीकान तहसील चूरू में अंकित प्रार्थी खातेदार का नाम भगवानाराम पुत्र नानूराम हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल निवासी धीरासर बीकान तहसील चूरू खातेदार के स्थान पर भुगानाराम पुत्र नानुराम हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल निवासी धीरासर बीकान तहसील चूरू खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार, चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

आदेश आज दिनांक 21.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:35 IST
Reason: SelfAttested